तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो किस तारीख तामील हुआ
12.4.18	पत्रावली पेश हुई, वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक ----31.5.18---- को पेश हो।	
	पत्रावली को लोक अदालत हेतु चयन किया गया, पक्षकारान को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 7-1-18 को पेश हो। खेडली तंवरान	
30.6.18 लालचन्द प्रभुलाल धर्मपाल श्याम बिहारी	पत्रावली लोक अदालत केम्प खेडली तंवरान में पेश हुई। वादी नं0 1 राम लटूर के वारिसान लालचन्द, धर्मराज, श्याम बिहारी एवं प्रतिवादी नं0 1, 2, 4, 5 मजमें आम में उपस्थित। पक्षकारान् ने उपस्थित होकर कथन किये कि वादी रामलटूर की मृत्यु हो चुकी है तथा हम रामलटूर के वारिसान है अतः रामलटूर की मृत्यु हो जानें से उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। साथ ही प्रतिवादी नं0 8 की मृत्यु की भी सुचना दी, जिसका नाम डिलीट किया जाता है। पक्षकारान् ने उपस्थित होकर प्रकरण का निस्तारण किये जानें का निवेदन किया। उपस्थित पक्षकारान् ने वाद डिक्री किये जानें की सहमति प्रकट करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। मजमें आम में पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। वादीगण ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर विवादित आराजी वाके ग्राम नीमली तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 287 रकबा 0.60 हे0 भूमि प्रतिवादीगण के खातें से हटायी जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किये जानें की रिलीफ चाहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है कि विवादित आराजी के पूर्व ख0नं0 151 रकबा 15 बीघा, 14 बिस्वा भूमि पूर्व में वादीगण के पिता माधो एवं प्रतिवादीगण के दादा मोती के शामलाती खातें में दर्ज थी। बाद केचमेंट उक्त भूमि के नवीन ख0नं0 309 व मि0 310 व मि0 310 कायम किये गये। बाद सेटलमेंट उक्त भूमि के ख0नं0 286 रकबा 0.50 हे0, ख0नं0 287 रकबा 0.60 हे0 एवं ख0नं0 288 रकबा 1.17 हे0 कायम किये गये। सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा ख0नं0 286 रकबा 0.50 हे0 भूमि वादीगण के नाम दर्ज कर दी गई, किन्तु ख0नं0 287 रकबा 0.60 हे0 भूमि	[signatures]

Scanned by CamScanner

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिवादीगण के खातें दर्ज कर दी गई, जबकि उक्त भूमि पर मुताबिक पक्षकारान् वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रकरण में दिनांक 16.06.2016 को पक्षकारान् ने उपस्थित सहमति से निस्तारण किये जानें की की सहमति प्रकट की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप दावा खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में करनें के उपरान्त, दावा इस आशय के साथ रिमाण्ड किया गया कि अपीलाण्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि का प्रस्तुत करनें का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत् निर्णय पारित करनें हेतु निर्देशित किया गया है। चूंकि पक्षकारान् पुनः राजस्व लोक अदालत केम्प खेडली तंवरान में उपस्थित होकर सहमति अनुसार प्रकरण का निस्तारण किये जानें की निवेदन किया तथा सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये है। विवादित आराजी वर्तमान में प्रतिवादीगण के खातें दर्ज है, वादीगण द्वारा अपनें वाद पत्र को साक्ष्य से पूर्णतया प्रमाणित करनें में सफल नहीं रहे है। प्रतिवादीगण ने ख0नं0 287 रकबा 0.60 हे0 भूमि उनके खातें से हटाई जाकर वादीगण के खातें दर्ज किये जानें में सहमति प्रकट की है। किन्तु उक्त अन्तरण से राजकिय हानि होना प्रकट होती है। जिसकी पूर्ति करनें हेतु वादीगण द्वारा सहमति प्रकट की गई है। लिहाजा उभयपक्ष की सहमति के आधार पर लोक अदालत की भावना रखते हुए वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम नीमली तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 287 रकबा 0.60 हे0 भूमि प्रतिवादीगण के खातें से हटाई जाकर, वादीगण को खातेंदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वादीगण से नियमानुसार पंजीयन शुल्क प्राप्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। तद्नुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प खेडली तंवरान

उनवान

1. रामलटूल पुत्र माधो जाति मीणा मृतक जरिये कायम मुकामान–

   1/1. लालचन्द पुत्र रामलटूर जाति मीणा

   1/2. धर्मपाल पुत्र रामलटूर जाति मीणा

   1/3. श्याम बिहारी पुत्र रामलटूर जाति मीणा

   1/4. शांतिबाई बेवा रामलटूर जाति मीणा

2. प्रभूलाल पुत्र माधो जाति मीणा निवासीगण नीमली तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

1. रघुनाथ पुत्र रामचन्द्र
2. हेमराज पुत्र रामचन्द्र
3. रामेश्वर पुत्र रामचन्द्र
4. सत्यनारायण पुत्र रामकल्याण
5. धनपाल पुत्र रामकल्याण
6. रमेश पुत्र रामकल्याण जाति मीणा निवासीगण नीमली तहसील दीगोद जिला कोटा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा
8. गोपाली बेवा रामचन्द्र (फोत)
9. रामकुंवरी बेवा रामकल्याण जाति मीणा निवासीगण नीमली तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 109/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. वहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " उभयपक्ष की सहमति के आधार पर लोक अदालत की भावना रखते हुए वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम नीमली तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 287 रकबा 0.60 हे0 भूमि प्रतिवादीगण के खातें से हटाई जाकर, वादीगण को खातेंदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार को निर्देशित किया

Scanned by CamScanner

जाता है कि वादीगण से नियमानुसार पंजीयन शुल्क प्राप्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।" तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 30.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner